प्रेस नोट दिनांक-18.02.2021

(1), आज दिनांक 18.02.2021 को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री के सत्यनारायाणा द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की उपस्थिति में गार्द सलामी लेने के उपरान्त पुलिस कार्यालय व कार्यालय की शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा निम्न आदेश/निर्देश दिये गये ।

1. महोदय द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ का वार्षिक निरीक्षण कर शिकायती रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें लम्बित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रिमाइण्डर देने के लिये निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा रजिस्टर में पाया कि प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कर्मियों द्वारा आवेदकों से फीडबैक लेकर टिप्पणी अंकित की जाती है जिस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कर्मियों की सराहना की गयी।

2. सोशल मीडिया सेल का निरीक्षण किया गया , निरीक्षण के दौरान टिवटर से प्राप्त शिकायतों के रजिस्टर व पेपर कटिंग रजिस्टर का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। साथ ही जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्यो की पेपर कटिंग का अवलोकन किया गया।

3. वाचक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण के दौरान शस्त्र लाइसेंस रजिस्टर/एसआर रजिस्टर/गैंग्स्टर रजिस्टर/हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर व अन्य रजिस्टरों का अवलोकन किया गया। वर्ष 2020 में हुई हत्या व रेप की घटनाओँ व अन्य महत्पूर्ण घटनाओँ के अभियोगों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया गया। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि एसआर फाइल में घटना से सम्बन्धित फोटोग्राफ व पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवश्य संलग्न की जाये। गुण्डा एक्ट/निरस्तीकरण रजिस्टर के अवलोकन के दौरान वर्ष 2020 में कितने अपराधियों पर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी की स्थिति का जायजा लिया गया। हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें देखा गया कि वर्ष 2020 में कितने नये हिस्ट्रीशीट खोले गये व कितने नष्ट किये गये।

4. महोदय द्वारा रिट सेल के वार्षिक निरीक्षण के दौरान देखा गया कि वर्ष 2020 में कितनी क्रिमिनल अपील लम्बित है साथ ही वार्षिक गोश्वारा देखा गया समय से दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. महोदय द्वारा प्रधान लिपिक कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कार्यालय में उपलब्ध समस्त रजिस्टरों का अवलोकन किया गया। इण्डेक्स पत्रावली/कैजुअलिटी रजिस्टर/पेंशन रजिस्टर/सीओ रजिस्टर का निरीक्षण किया गया साथ ही एचओबी का कैजुअलिटी रजिस्टर के साथ मिलान किया जाता है अथवा नहीं के बारे में जानकारी ली गयी। निरीक्षक/उ0नि0 /मुख्य आरक्षी/आरक्षियों के रैण्डम 05-05 रोल चेक किये गये जिसमें देखा गया कि सभी प्रविष्टियां पूर्ण हैं अथवा नहीं। 2020 की सारी प्रविष्टियां पूर्ण पाये जाने पर महोदय द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गयी। समय से पुलिस कर्मियों की इन्क्रीमेन्ट लगाया जा रहा है अथवा नहीं की जानकारी ली गयी। पेन्शन रजिस्टर चेक कर देखा गया कि कितने लम्बित है। साथ में यह भी निर्देशित किया गया कि आलोच्य अवधि में दण्ड का उल्लेख अवश्य किया जाये व रिवार्ड भी चेक किया गया।

6. महोदय द्वार रिकार्ड कीपर शाखा का निरीक्षण के दौरान गार्द फाइल व इण्डेक्स रजिस्टर का अवलोकन किया गया। महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी परिपत्रों की गार्द फाइल पृथक बनायी जाये व मुख्यालय लखनऊ व एडीजी महोदय द्वारा जारी परिपत्रों की गार्द फाइल पृथक-पृथक बनायी जाये। बीड आउट रजिस्टर चेक किया गया व फाइल नष्टीकरण की जानकारी ली गयी। प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि 2014 तक की समस्त पत्रावली बीड आउट की जा चुकी हैं। थानों व आफिस में दिये जा रहे स्टेशनरी के रजिस्टरों के रिकार्ड का निरीक्षण किया गया।

7. महोदय द्वारा सीसीटीएनएस शाखा के निरीक्षण के दौरान स्टाक रजिस्टर/थानों में दी गयी गयी सामग्री व सीसीटीएनएस सम्बन्धी जानकारी ली गयी। 2004 से 2013 तक डाटा डिजिटाइजेशन की जानकारी ली गयी। यूपीकाप के माध्यम से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, किराये दार सत्यापन, जुलूस अनुरोध व अन्य अनुरोध की जानकारी ली गयी व पूंछा गया कि कितने निस्तारित किये गये व कितने लम्बित हैं।

8. महोदय द्वारा जनसूचना सेल में निरीक्षण के दौरान 2020 वर्ष में कितने प्रार्थना पत्र जनसूचना प्राप्त हुये व कितने समय से निस्तारित किये गये की जानकारी ली गयी व गोश्वारा का निरीक्षण किया गया।

9. विशेष जांच प्रकोष्ठ में निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया कि एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त हुये प्रार्थना पत्रों का विवरण विशेष जांच प्रकोष्ठ में भी इन्द्राज किया जाये। एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत कितने मुकदमें वर्ष 2020 में पंजीकृत किये गये हैं व कितने मुकदमों में आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है व कितने प्रकरण भुगतान हेतु लम्बित हैं कि जानकारी ली गयी।

10. महोदय द्वारा आईजीआरएस में निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये गये कि समय से प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया जाये व मुलाकाती शिकायतों का इन्द्राज भी आईजीआरएस के माध्यम से किया जाये।

11. महोदय द्वारा एलआईयू में निरीक्षण के दौरान एलआईयू कार्यालय में उपस्थित कर्मियों के कार्यों की जानकारी ली गयी व पूंछा गया की कौन कर्मी क्या कार्य देखता है। पासपोर्ट रजिस्टर चेक किया गया। 2020 वर्ष में किन व्यक्तियों की फाइल खोली गयी है की जानकारी ली गयी। साथ यह भी जानकारी ली गयी कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति जनपद चित्रकूट में निवासित तो नहीं है।

12. डीसीआरबी में निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा वर्ष 2020 के अपराधों का चार्ट देखा गया व चार्ट से चोरी नकबजनी हत्या व अन्य अपराधों की समीक्षा की गयी। अपराध चार्ट बेहतर बनाये जाने हेतु महोदय द्वारा डीसीआरबी कर्मचारियों को पुरष्कृत करने की घोषणा की। जनपद के डी गैंग की जानकारी ली गयी व गैंग मेम्बर्स के डोजियर फोटो सहित बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

13. महोदय द्वारा महिला सहायता प्रकोष्ठ में निरीक्षण के दौरान महिला सहायता प्रकोष्ठ के कार्यों की जानकारी ली गयी व आर्थिक सहायता हेतु लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

14. मानीटरिंग सेल/सम्मन सेल का निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा मानिटरिंग सेल से जानकारी ली गयी कि पिछले वर्ष कितनों को सजा हुई है व सम्मन सेल के निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समय से सम्बन्धित को सम्मन पहुंचाया जाये।

15. आंकिक शाखा के निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा पेन्शन प्रकरणों के बारे में पूंछा गया व पेशंन जाने वालों की पेंशन के दिन क्या क्या प्रदान किया जाता है की चेक लिस्ट चेक की गयी। जो व्यक्ति ईएल जाता है उनकी कटौती किस प्रकार की जाती है की जानकारी ली गयी। सेवानिवृत्ति रजिस्टर/न्यूनतम वेतन रजिस्टर/कैश बुक व बिल रजिस्टर का निरीक्षण किया गया। आंकिक बाबू से जानकारी ली गयी कि किसी भी प्रकार का बिल भुगतान हेतु लम्बित तो नहीं हैं यदि कोई बिल लम्बित है तो शीघ्र ही बिल को पे किया जाये।

(2). आज दिनांक 18.02.2021 को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री के सत्यनारायाणा द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल की उपस्थिति में राघव प्रेक्षागार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व समस्त प्रभारी निरीक्षकों के साथ गोष्ठी की गयी।

महोदय द्वारा सर्वप्रथम पुलिस पेशनर्स के साथ वार्ता कर उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं कहा गया कि व्यायाम निरन्तर करते रहे। सभी पेन्सनर्श से समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। सभी को बताया गया कि गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ों से दूर रहें । किसी भी प्रकार के अवैध कार्यो से सम्बन्धित सूचना पुलिस को दें। सभी पेन्सनर्श को पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु कहा गया। इस दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि पुलिस पेंशनर्स का सम्मान करें व थानों पर आने वाले पुलिस पेंशनर्स को सम्मान देकर बैठायें व पानी के लिये अवश्य पूंछे तथा उनकी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करायें।

2. ह्यूमन ट्रैफिकिंग/मानव तस्करी की कार्यशाला पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रोजेक्टर पर किया गया। इसमें समस्त प्रभारी निरीक्षकों श्री अनिल सिंह यूनिसेफ महिला कल्याण एवं बाल कल्याण द्वारा किशोर इकाई व जिला बाल संरक्षण इकाई व किशोर न्याय बोर्ड के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी । इस दौरान बताया गया कि बच्चों को भागीदारी का अधिकार दें व उनकी

बातों को अवश्य सुनें। बालश्रम/बालविवाह से सम्बन्धित बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से परिजनों के सुपुर्द न करें बल्कि इनको चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचित कर 1098 के अधिकारियों के सुपुर्द करें।

महोदय द्वारा सर्वप्रथम गोष्ठी के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षकों से उनका परिचय लिया गया तथा निम्नलिखित आदेश निर्देश दिये गये।

1. वर्ष भर में किये गये कार्यों का स्वंय मंथन करने हेतु निर्देशित किया गया कि आपने क्या कार्य किया है।
2. महिला आरक्षियों को महिला आवेदिकाओं के प्रति स्वतंत्र करें जिससे महिला आरक्षी आवेदिकाओं से उनकी समस्याओं को ठीक प्रकार से सुनें व समझ सके तथा आवेदिकाओं को सन्तुष्ट कर सकें।
3. महिला सम्बन्धी अपराधों के घटना स्थल पर महिला आरक्षियों को अवश्य ले जायें।
4. गैंग की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारी पूर्ण प्रयास करें व गैंग के सम्बन्ध में जानकारी करने का प्रयास करें एवं जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक को सूचित करें। यह न समझे कि गैंग हमारे थाना क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है।
5. टाप टेन अपराधियों की सूची को अद्यावधिक करते रहें तथा उनके सम्बन्ध में पूर्ण सूचना संकलित करें कि उनके आय के क्या स्रोत हैं, परिवारीजन क्या कर रहे हैं। इनकी गतिविधियों पर पूर्णतयः निगरानी की जाये।
6. चोरी/डकैती व नकबजनी करने वाले अपराधियों का डोजियर बनाया जाये।
7. टाप टेन अपराधियों में उन्हीं अपराधियों को सम्मिलित किया जाये जो अपराध वर्तमान में कर रहे हों।
8. अपने थाने पर उ0नि0 व आरक्षियों के साथ प्रतिदिन गणना पर उनका कार्य आवंटित करें तथा अपराधियो के सम्बन्ध में वार्ता करें एवं अपराधियों की स्वयं पूर्ण जनकारी रखें।
9. अवैध शराब/गांजा/शस्त्र व जुआं ये सब सामाजिक अपराध हैं। यह अपराध समाज को बहुत प्रभावित करते हैं । इस पर पूर्णतयः रोक लगाये जाने हेतु निर्दशित किया गया।
10. व्यक्तिगत अपराध में पुलिस का कार्य विवेचना करना है, विवेचना में किसी को अनावश्यक न परेशान किया जाये । विवेचना निष्पक्ष एवं सत्यता के आधार पर की जाये। पीडित परिवार पर कोई दबाव न डाला जाये व साक्ष्य संकलन विधिसंगत तरीकों से किया जाये ।
11. समय का उपयोग करें व सप्ताह में एक दिन नियत करें जिसमें समस्त प्रभारी निरीक्षक सभी उ0नि0 से विवेचना के सम्बन्ध में विस्तृत वार्ता करें एवं इसमें लम्बित प्रार्थना पत्र/आईजीआरएस व सम्मन वारण्ट के बारे में भी समीक्षा की जाये।
12. महोदय द्वारा काज लिस्ट के बारे में बताते हुये कहा गया कि काज लिस्ट में देखें कि अपराधी की तारीख कब है। इसके सम्बन्ध में कोर्ट मुहर्रिर/पैरोकार से वार्ता प्रतिदिन करें।
13. प्रत्येक रविवार थानों में श्रम दान का कार्य किया जाये जिससे थानों की साफ-सफाई उच्च स्तर की बनी रहे। थानों में खड़ें वाहनों पर मुकदमा अपराध संख्या अवश्य अंकित करें।
14. थानों पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान अवश्य दें व उसकी समस्या सही तरीके से सुने व उससे पानी के लिये अवश्य पूंछे। कोशिस करे कि आवेदक को थानास्तर पर ही संतुष्ट किया जाये।
15. दिवसाधिकारी व रात्रि अधिकारी अवश्य बनायें। थाना कार्यालय के बाहर व्हाइट बोर्ड लगाकर दिवसाधिकारी व रात्रि अधिकारी का नाम अवश्य अंकित करायें।
16. महोदय द्वारा कहा गया कि पुलिस की छवि सुधारने में प्रभारी निरीक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
17. गुमशुदगी/लावारिस शव की फोटो एवं उनका विवरण डीसीआरबी के माद्ययम से रेंज कार्यालय अवश्य भिजवायें जिससे रेंज के समस्त थानों में उसकी शिनाख्त/तस्दीक करायी जा सके।

मीटिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश, सीए पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा, पेशकार पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम बांदा, प्रधान लिपिक/वाचक/स्टेनों पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक व समस्त प्रभारी निरीक्षक उपस्थित रहें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 152/2020 धारा 389 भादवि के वाछित अभियुक्त राजनारायण पुत्र मोतीलाल निवासी डाडी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश सिंह थाना मानिकपुर

2. आरक्षी रामजी साहू

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण व बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री दीनदयाल सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मुन्ना पुत्र भुलवा कोल निवासी गौतमपुर मजरा रुकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा को 05 लीटर कच्ची अवैध शऱाब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में आबकारी अधिनियम के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल थाना बहिलपुरवा

2. आरक्षी जयसिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया द्वारा अभियुक्त 1. राज बहादुर सिंह 2. चंद्रशेखर सिंह पुत्रगण भयंकर सिंह निवासीगण गढ़चपा 3. नंद सिंह पुत्र चंचल निवासी गढ़चपा 4. राममूरत उर्फ छोटू पुत्र अत्रिमुनि निवासी हनुवा 5. ननका कुशवाहा पुत्र बिहारीलाल निवासी रानीपुर 6. अत्रिमुनि पुत्र अवध नारायण 7. माधव पुत्र रामहित 8. अवध नारायण पुत्र शिवपाल निवासीगण चुरेह केसरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की। इन अभियुक्तों द्वारा आम जनमानस में गुंडागर्दी करते भय एवं आतंक भैलाया जा रहा था।

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 18.02.2021 एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कालेज में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बस स्टैण्ड/बाजार रोड में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा मन्दाकिनी गेस्ट हाउस कालूपुर मे भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया । एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।